भारत सरकार
शक्षा मंत्रालय
स्कूल शक्षा और साक्षरता वभाग

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न संख्या-**1358**
उत्तर देने की तारीख-**08/12/2025**

समग्र शक्षा योजना के उद्देश्य

† 1358. डॉ. कलानि ध वीरास्वामी:
श्री मलैयारासन डी .:

क्या शक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:
(क) समग्र शक्षा योजना की वशेषताएँ और उद्देश्य क्या हैं**;**
(ख) पछले तीन वत्तीय वर्षों में**,** त मलनाडु**,** वशेष रूप से कल्लाकुरिची लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में इस योजना के तहत स्वीकृत**,** आबंटित और जारी की गई कुल नि ध कतनी है**;**
(ग) क्या स्वीकृत नि धयों का एक बड़ा हिस्सा अब भी सरकार ने रोक रखा है**;**
(घ) यदि हाँ**,** तो ऐसी रोकी गई नि धयों का ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं**;**
(ङ.) कुल कतनी धनरा श जारी कए जाने के लए लंबित है तथा इसे जारी करने की संभा वत समय-सीमा क्या है**;** और
(च) त मलनाडु को समय पर नि ध जारी करने और कार्यान्वयन से संबं धत कसी भी बाधा को दूर करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं**?**

उत्तर

शक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क**):** वर्ष **2018-19** से स्कूल शक्षा और साक्षरता वभाग स्कूल शक्षा-समग्र शक्षा हेतु एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना -कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना को राष्ट्रीय शक्षा नीति**,** **2020** की अनुशंसाओं के साथ जोड़ा गया है**,** जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को एक समता और समावेशी कक्षा वातावरण वाली गुणवत्तापरक शक्षा की सुलभता सुनिश्चित करना है। इस

योजना को पांच साल की अव ध के लए अर्थात् वर्ष **2021-22** से **2025-26** तक बढ़ा दिया गया है।

समग्र शक्षा योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं: (**i**) राष्ट्रीय शक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना; (**ii**) निशुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार (आरटीई) अ धनियम, 2009 के कार्यान्वयन हेतु राज्यों की सहायता करना; (**iii**) प्रारं भक बाल्यावस्था देखभाल और शक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना; (**iv**) मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर बल देना; (**v**) छात्रों में 21वीं सदी के कौशल प्रदान करने के लए समग्र, एकीकृत, समावेशी और कार्यकलाप आधारित पाठ्यचर्या और शक्षाशास्त्र पर बल देना; (**vi**) गुणवत्तापरक शक्षा का प्रावधान करना और छात्रों के अ धगम परिणामों में वृद् ध करना; (**vii**) स्कूल शक्षा में सामाजिक और जेंडर अंतरालों को कम करना; (**viii**) स्कूल शक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना; (**ix**) अध्यापक प्र शक्षण के लए नोडल एजेंसी के रूप में राज्य शै क्षक अनुसंधान और प्र शक्षण परिषदों (एससीईआरटी)/राज्य शक्षा संस्थानों और जिला शक्षा एवं प्र शक्षण संस्थानों (डीआईईटी) का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन; (**x**) सुर क्षत, संर क्षत और अनुकूल शक्षण वातावरण सुनिश्चित करना और स्कूली प्रावधानों में मानकों का रखरखाव करना और (**xi**) कौशल शक्षा को बढ़ावा देना।

देश भर में शक्षा की पहुंच, अवसंरचना और गुणवत्ता में सुधार के लए समग्र शक्षा योजना की प्रमुख वशेषताएं इस प्रकार हैं

- पूर्व-प्राथ मक से वरिष्ठ माध्य मक स्तर तक स्कूलों के नए/उन्नयन के प्रावधान द्वारा गुणवत्तापूर्ण शक्षा तक पहुंच को सार्वभौ मक बनाना और दिव्यांग बच्चों के लए बाधा मुक्त पहुंच के प्रावधान सहित मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करना।
- स्कूल न जाने वाले बच्चों को प्राथ मक स्तर से लेकर **16-19** वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को मुक्त वद्यालयी शक्षा के माध्यम से मुख्यधारा में लाने के लए सहायता प्रदान की गई।
- कक्षा **XII** तक आवासीय और स्कूली शक्षा सु वधाएं प्रदान करने के लए कस्तूरबा गांधी बा लका वद्यालयों (केजीबीवी) के उन्नयन का प्रावधान।
- सभी बच्चों के लए निशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रावधान और प्रारं भक स्तर पर सभी लड़ कयों, अनुसू चत जाति, अनुसू चत जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे के लड़कों के लए निशुल्क यूनिफार्म का प्रावधान, जिसमें पूरक सामग्री के साथ जनजातीय भाषाओं के लए प्राइमर/पाठ्यपुस्तकें शा मल हैं।

- दुर्गम कम आबादी वाले क्षेत्रों में बच्चों के लए **@ 6000** रुपये प्रति वर्ष तक की दर पर माध्य मक स्तर तक परिवहन सु वधा का वस्तार कया गया है।
- पहाड़ी इलाकों, छोटे और कम आबादी वाले इलाकों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय वद्यालय नामक आवासीय स्कूल/छात्रावास, उन बच्चों के लए जो बिना वयस्क संरक्षण के हैं और जिन्हें आश्रय और देखभाल की ज़रूरत है।
- सरकारी स्कूलों में पूर्व-प्राथ मक कक्षाओं के लए शक्षण अ धगम सामग्री, स्वदेशी खलौने और गेम, खेल आधारित गति व धयों के लए प्रति बच्चा प्रति वर्ष **500** रुपये तक का प्रावधान।
- टीएलएम के प्रावधान के माध्यम से मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर निपुण भारत मशन के लए प्रति वर्ष **500** रुपये प्रति बच्चा, शक्षक मैनुअल और संसाधनों के लए प्रति शक्षक **150** रुपये, मूल्यांकन के लए प्रति जिले **10-20** लाख रुपये, एफएलएन पर शक्षक प्र शक्षण के लए सहायता प्रदान की गई है।
- **समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी), खेल अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, समग्र स्कूल अनुदान, शिक्षक प्रशिक्षण, टीईआई के सुदृढ़ीकरण, मूल्यांकन प्रकोष्ठ, बैगलेस दिन, स्कूल परिसर, स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप, पाठ्यचर्या और शैक्षणिक सुधार आदि जैसे गुणात्मक और** नवाचार मध्यवर्तनों **का प्रावधान।**

- रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्र शक्षण' के तहत लड़ कयों के लए आत्मरक्षा प्र शक्षण।
- सहायता और उपकरणों, शक्षण सामग्री, गृह आधारित शक्षा आदि के लए सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में पढ़ने वाले वशेष आवश्यकता वाले प्रति बच्चे प्रति वर्ष **3500** रुपये तक का प्रावधान
- पूर्व-प्राथ मक से वरिष्ठ माध्य मक स्तर तक छात्र घटक के अलावा सीडब्ल्यूएसएन लड़ कयों के लए **10** महीने के लए ₹ **200** प्रति माह की दर से वजीफे का अलग प्रावधान।
- ब्लॉक स्तर पर सीडब्ल्यूएसएन के लए ₹ **10000** प्रति श वर की दर से वा र्षक पहचान श वर **@** और सीडब्ल्यूएसएन के पुनर्वास और वशेष प्र शक्षण के लए ब्लॉक संसाधन केंद्रों को लैस करना, और वशेष शक्षकों और ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों का प्र शक्षण।
- पूर्व-प्राथ मक और माध्य मक स्तर के लए बीआरसी और सीआरसी की शैक्ष णक सहायता बढ़ाई गई।

- व भन्न व्यवसायों पर बच्चों को एक्सपोजर और इंटर्न शप प्रदान करने के लए वकास कार्य करने वाले कौशल और अन्य सरकारी वभागों/एजें सयों के साथ अ भसरण पर जोर दिया गया।
- सरकारी स्कूलों के अलावा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को भी कौशल शक्षा के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है तथा नामांकन और मांग से जुड़ी नौकरी की भू मकाओं/अनुभागों की अनुदान/संख्या भी प्रदान की गई है।

- डजिटल बोर्डों, वर्चुअल क्लासरूम और डीटीएच चैनलों के लए समर्थन सहित आईसीटी प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लासरूम का प्रावधान।
- सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के लए बच्चों के अ धगम के स्तर का पता लगाने के लए चाइल्ड ट्रै कंग।
- अ धनियम की धारा 12(1) (ग) के तहत प्रतिपूर्ति सहित शक्षा का अ धकार अ धनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र का समर्थन करना।

(ख): पछले तीन वत्तीय वर्षों के दौरान समग्र शक्षा के तहत परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा अनुमोदित कुल केंद्रीय भाग और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों तथा त मलनाडु के लए जारी कए गए कुल केंद्रीय भाग का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रूपये करोड़ में)

	वर्ष **2022-23**		वर्ष **2023-24**		वर्ष **2024-25**	
	अनुमोदित **केंद्रीय** भाग	जारी कया गया **केंद्रीय** भाग	अनुमोदित केंद्रीय भाग	जारी केंद्रीय भाग	अनुमोदित केंद्रीय भाग	जारी कए गए केंद्रीय भाग
देश-सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	**44493.94**	**32151.94**	**45647.55**	**32382.79**	**47475.67**	**34458.21**
तमिलनाडु	**2117.60**	**2107.23**	**2127.65**	**1876.16**	**2153.15**	**0.00***

स्रोत: पीएबी मिनट और पीएफएमएस

** त मलनाडु को वत्त वर्ष **2024-25** का **362.81** करोड़ रुपये का केंद्रीय भाग वत्त वर्ष **2025-26** में जारी कया गया था।*

(ग) से (च): स्कूल शक्षा और साक्षरता वभाग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में समग्र शक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। समग्र शक्षा के अंतर्गत मानदंडों के अनुसार कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लए व भन्न घटकों के लए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वत्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तदनुसार, समग्र शक्षा के अंतर्गत वा षक योजनाएं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथ मकता के आधार पर तैयार की जाती हैं और यह उनकी संबं धत वा षक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में परिल क्षत होती है। तत्पश्चात् इन योजनाओं का मूल्यांकन कया जाता है और योजना के कार्यक्रम संबंधी और वत्तीय मानदंडों के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा इनका मूल्यांकन और अनुमोदन/अनुमान लगाया जाता है। केन्द्रीय भाग जारी करना, उपयोग प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करना, पूर्व में जारी की गई नि धयों के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्टों, वास्त वक और वत्तीय प्रगति रिपोर्टों, राज्य अंशदानों और योजना मानदंडों के अनुपालन पर निर्भर करती है।

****